सड़क किनारे गाड़ी रोक मोबाइल पर बात की तो चालान

एक फरवरी से नया नियम लागू, पहली बार पकड़े गए तो 500 और दूसरी बार 1000 रुपये का कटेगा चालान

माई सिटी रिपोर्टर

चंडीगढ़। अगर आप शहर की सड़कों पर वाहन चलाते हैं, तो जरा संभलकर चलाएं। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एक और सख्त रवैया अपनाया है। अब वाहन चलाते समय सड़क किनारे मोबाइल पर बात करना, सड़क किनारे पिक एंड ड्राप और रेड लाइट पर अपने बाईं ओर स्लिप रोड को ब्लाक करना महंगा पड़ेगा। इन नियमों की अवहेलना करने पर ट्रैफिक पुलिस अब आपका पांच सौ रुपये का चालान काट देगी। यही अवहेलना अगर दूसरी बार करता हुआ कोई पकड़ा गया तो चालान की राशि दोगुनी हो जाएगी।

सड़क किनारे सवारी चढ़ाने और उतारने, स्लिप रोड ब्लॉक करने पर भी चालान

मध्यमार्ग, दक्षिण मार्ग और उद्योगपथ पर होगी शुरुआत

ट्रैफिक पुलिस इन तीनों उल्लंघन को लेकर शहर के अलग-अलग हिस्सों में जागरूकता अभियान चलाकर पहले लोगों को जागरूक करेगी। इसके बाद एक फरवरी 2020 को इसे लागू कर दिया जाएगा। यह पहला मौका होगा, जब चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस इस आफेंस के तहत नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के चालान काटेगी।

स्टॉप या रोड साइन पर कर सकते हैं पिक एंड ड्राप

ट्रैफिक पुलिस के नए नियमों के मुताबिक अब आप अपने वाहनों को बस स्टॉप वाली जगह, पार्किंग एरिया, रोड साइन वाली जगहों पर ही रोक सकते हैं। इन जगहों पर अपने वाहनों को रोककर किसी को पिक एंड ड्राप कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल पर बात भी इन जगहों पर करना होगा। सड़क किनारे अगर कोई वाहन चालक मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ा जाएगा तो ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काट देगी।

जाम से निजात पाने के लिए पहल

ट्रैफिक पुलिस के उच्चाधिकारियों के अनुसार, इन नियमों को लागू करने का मकसद यह होगा कि शहर में जाम की स्थिति को कम किया जा सके। पहले लोग अपने वाहनों को कहीं भी रोककर सवारियां उतारते और बैठाते थे। साथ ही राह चलते भी लोग सड़क के किनारे अपने वाहनों को रोककर मोबाइल पर बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में कई बाद देखा गया कि वहां पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है।

31 तक करेंगे जागरूक

शहर में सबसे ज्यादा जाम की स्थिति मध्यमार्ग, दक्षिण मार्ग और उद्योग पथ पर बनती है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस इन तीन जगहों पर इसकी शुरुआत करने जा रही है। ट्रैफिक एक्सपर्ट का मानना है कि यह नियम लागू होने से जाम लगने की स्थिति से बचा जा सकेगा। ट्रैफिक पुलिस इस नियम को लागू करने से पहले शहर भर में लोगों को नियमों के बारे में 31 जनवरी तक जागरूक करेगी।

" मध्यमार्ग, दक्षिण मार्ग और उद्योग पथ पर जाम की स्थिति ज्यादा होती है। यही कारण है कि इन सड़कों पर एक फरवरी से नियम को लागू कर दिया जाएगा।

-शशांक आनंद
एसएसपी, ट्रैफिक